राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मोतीलाल बनाम रामनिवास

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	346/2016	
16/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो।	
24/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/03/2014 पारित करते हुए तहसीलदार बस्सी को विवादित भूमि खसरा नम्बर 287 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 532, 554, 555 किता 3 रकबा 3.58 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 209, 530, 531, 553, 621 किता 5 रकबा 5.18 हैक्टेयर वाके ग्राम बस्सी, तहसील बस्सी का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए तहसीलदार बस्सी को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में तकासमा प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/03/2014 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सहखातेदार के मध्य विभाजन हेतु प्रस्तुत विचाराधीन वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर तहसीलदार बस्सी को कमिश्नर नियुक्त करते हुये दोनों पक्षों की मौजूदगी में बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। विधि अनुसार एवं खातेदारान के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर लम्बित अथवा देरीना किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/03/2014 को यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	